रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1993 (कार्तिक 8, 1915)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1993 (KARTIKA 8, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 4 अक्तूबर 1993

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ पटियाला के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री एम. मंडल के स्थान पर श्री के. के. खंडेलवाल को दिनांक 4 अक्तूबर 1993 से दो वर्ष की अवधि के लिए स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

दीपंकर बटेस्,
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1993

शुद्धि-पत्र

संख्या ए-12 (11)-1/91 आय. नि. चि. (म.) दिनांक 1-1-1992, भारत के राजपत्र के भाग-3, अनुभाग-4 दिनांक 25-1-1992 में प्रकाशित हिन्दी रूपांतर को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित/शुद्ध किया जाएगा ।

(1) पृष्ठ-88

कार्यान्वयन-2 शीर्ष की अनुसूची में प्रथम पंक्ति में तदनुरूपी को तदनुरूपी प्रतिस्थापित किया जाए ।

क्रम संख्या-4 भर्ती की पद्धति के बाद ",," प्रतिस्थापित किया जाए ।

क्रम संख्या-6 आयोग्यताएं को अयोग्यताएं प्रतिस्थापित किया जाए ।

क्रम संख्या-6(ख) में दूसरी पंक्ति में "किसी" किया शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ख) के दूसरे पैरे की तीसरी पंक्ति के अन्त में अन्तर्गत प्रतिस्थापित किया जाए ।

क्रम संख्या-7 दूसरी पंक्ति में या के बाद कालोचित प्रतिस्थापित किया जाए ।

चौथी पंक्ति में लेखापद्ध को "लेखाबद्ध" प्रतिस्थापित किया जाए ।

1 टिप्पणी : दूसरी पंक्ति में सिफारिश शब्द को "सिफारिश" प्रतिस्थापित किया जाए ।

पृष्ठ-90 की दूसरी पंक्ति में प्रतिनियुक्ति के बाद "1" प्रतिस्थापित किया जाए ।

12वीं पंक्ति में आर्यवैदिक को "आर्युर्वेदिक" प्रतिस्थापित किया जाए ।

32वीं पंक्ति में मौजूदा को "मौजूद" प्रतिस्थापित किया जाए ।

डा. (श्रीमती) ए. ए. अम्बेकर,
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 29 सितम्बर 1993

यूटी/डी पी डी एम/आर 54ए/एस पी डी 72बी/93-94—डिफर्ड आय यूनिट योजना 1993 के प्रावधान, जिन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये गये हैं, और जिन्हें 16 जून 1993 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए डिफर्ड आय यूनिट प्लान 1993 के प्रावधान और डिफर्ड आय यूनिट योजना 1993 के प्रावधान का संशोधन जिसे 12 जुलाई 1993 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया है, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

डिफर्ड आय यूनिट योजना के उपबंध

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52), की धारा 19 (1) (8) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है :

(1) यह योजना डिफर्ड आय यूनिट योजना-1993 (डी आई यू एस-93) के अन्तर्गत डिफर्ड आय यूनिट प्लान-1993 (डी आई यू पी-93) कही जाएगी ।

(2) इस योजना में 5 वर्षों की अवधि के लिये डिफर्ड आय या संचयी विकल्प के शामिल होने का विकल्प होगा । इस योजना के उपबंध दोनों विकल्पों पर लागू होंगे और जहां उपबंधों में अंतर होगा, उसके अनुसार विवरण दिये जाएंगे ।

(3) यह 2-8-1993 को प्रवृत्त होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिये होगी ।

(4) इस योजना के अन्तर्गत यूनिट के अभिदान के लिये पेशकश 2-8-1993 से 14-9-1993 तक (दोनों दिन शामिल) 44 दिन के लिये खुली रहेगी । लेकिन अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी समाचार पत्रों में एक सप्ताह की अग्रिम सूचना देकर उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कभी भी योजना के अंतर्गत यूनिट पेशकश स्थगित कर सकते हैं या उक्त अवधि के बाद अवधि बढ़ा सकते हैं ।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा । आवेदन 100 यूनिट के गुणक में होंगे और न्यूनतम 200 यूनिट के लिये आवेदन करना होगा । इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(क) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं अर्थात्

(ख) व्यक्ति, एकल रूप में अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में/दोनों में से एक या उत्तरजीवी आधार पर ।

(ग) माता-पिता, सौतेला माता-पिता या किसी अवयस्क की ओर से अन्य विधिक अभिभावक । किसी वयस्क या अवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन नहीं किया जा सकता है ।

(घ) योजना के अन्तर्गत यथा परिभाषित कोई पात्र संस्था ।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(छ) निगमित निकाय (कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों को छोड़कर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत स्थापित बैंक और अलाभकर कंपनियां सहित) ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही किये जायेंगे ।

3. भुगतान विधि :

पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन के साथ नकदी, चेक या ड्राफ्ट में किये जाएंगे । चेक और ड्राफ्ट उस शहर में स्थित बैंक की शाखाओं पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन किया जाए । यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि वह यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि वह होगी, जिस तिथि को चेक ट्रस्ट को या किसी पदनामित बैंक की शाखा को प्राप्त होगा, बशर्ते कि चेक की वसूली हो । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते कि ड्राफ्ट की वसूली हो और आवेदन समुचित समय के भीतर ट्रस्ट को या किसी पदनामित बैंक की शाखा को प्राप्त हो जाए ।

सदस्यता सूचना आवेदक द्वारा दिये गये पते पर डाक द्वारा भेजी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे प्रेषित सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत सुपुर्दगी होने या सुपुर्दगी न होने का कोई दायित्व वहन नहीं करेगा ।

4. यूनिट की पेशकश :

इस योजना के अंतर्गत यूनिट की पेशकश 2-8-1993 से 14-9-1993 तक (दोनों दिन मिलाकर) 44 दिन के लिये खुली रहेगी ।

14-9-1993 को कार्य समाप्ति के बाद ट्रस्ट को या अन्य बैंक शाखाओं को प्राप्त आवेदन अमान्य होंगे और अस्वीकार कर दिये जाएंगे ।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा :

आवेदन अपूर्ण रहने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसी आवेदन राशि की निर्व्याज वापसी यथाशीघ्र की जाएगी ।

शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन :

25 अगस्त 1993 को या उसके पहले डिफर्ड आय और संचयी विकल्प में शामिल होने वालों के लिये 1.25% का शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे, जो सदस्यता सूचना के साथ अलग चेक से भेजा जाएगा ।

5. यूनिट की पुनर्खरीद :

"प्लान के पहले वर्ष के दौरान ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद नहीं करेगी । परन्तु, ट्रस्ट प्लान का दूसरे वर्ष से यूनिटों की निम्नलिखित रूप से पुनर्खरीद करेगा ।

(क) प्लान के दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान, यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर प्रशासनिक मूल्य जो अंकित मूल्य के 5% से अधिक न हो को घटाकर, की जा सकती है ।

(ख) चौथे वर्ष से, यूनिटों की पुनर्खरीद शुद्ध आस्तिमूल्य पर की जाएगी, जिसका परिकलन तिमाही/मासिक आधार पर प्रशासनिक मूल्य को घटाने के बाद जो शुद्ध आस्तिमूल्य के 5% से अधिक न हो, किया जाएगा ।"

उपर्युक्त के लिए 9-8-93 को प्रतिस्थापित ।

6. सदस्य की मृत्यु या दिवाला :

(1) योजना और उसके अंतर्गत बनी योजना के अंतर्गत आबंटित के संयुक्त सदस्यों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी ही वह व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्ट द्वारा ऐसे निर्गत यूनिटों के हकदार या हिताधिकार के रूप में मान्यता दी जाएगी । लेकिन इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद उक्त यूनिट से संबंधित उत्तरजीवी के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) किसी एकल सदस्य या संयुक्त सदस्यों की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ही योजना के अन्तर्गत निर्गम यूनिट के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(3) सदस्यों द्वारा वैध नामांकन नहीं करने पर मृत सदस्य का निष्पादक या प्रशासक अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के खण्ड 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्ट द्वारा यूनिट के हकदार के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हक का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जैसा ट्रस्ट उपयुक्त समझे, उसको मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य सममूल्य पर तथा खण्ड 6 के अंतर्गत विशेष रूप से या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित दर पर दिये गये लाभांश का भुगतान दावेदार द्वारा दावा सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने पर किया जाएगा । यदि पात्र यूनिटधारक नामिती हो तो उस नामिती की इच्छा पर मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने की अनुमति और सदस्य के रूप में पंजीकृत रहने की अनुमति दी जाएगी और उसकी इच्छानुसार न्यूनतम धारण संबंधी शर्तों के अधीन उसके नाम से यूनिट संबंधी सदस्यता सूचना जारी की जाएगी ।

7. यूनिटों का अंतरण :

योजना और उसके अंतर्गत बनी प्लान के अधीन निर्गत यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय नहीं हैं ।

8. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) एकल सदस्य या संयुक्त रूप में यूनिट रखने वाले दो सदस्य विनियमावली में दी गई सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । अनिवासी भारतीय इस शर्त पर नामांकित किये जा सकते हैं कि आगमों का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता ।

(2) माता-पिता या अवयस्क की ओर से कानूनी अभिभावक, कोई पात्र संस्था, हिन्दू अविभक्त परिवार और निगमित निकाय जैसे सदस्यों को नामांकन का अधिकार नहीं होगा ।

9. आय वितरण :

(1) डिफर्ड आय विकल्प :

ट्रस्ट योजना या उसके अंतर्गत बनी प्लान के प्रथम दो वर्षों के लिये कोई लाभांश घोषित नहीं करेगा । उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के लिये तिमाही आधार पर 28% वार्षिकी की दर से लाभांश घोषित किया जाएगा ।

प्रत्येक तिमाही के लिए आय वितरण उस तिमाही के अंत में देय होगा और ट्रस्ट द्वारा उसका भुगतान पूर्व अदायगी व्यवस्था के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंक शाखाओं पर आय वितरण वारंट या सममूल्य पर भुनाने योग्य किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा । तीसरे चौथे और पांचवें वर्ष के लिये आय वितरण वारंट सदस्यों को अग्रिम रूप में भेजे जाएंगे ।

प्रत्येक वारंट की वैध अवधि तीन महीने की होगी । यदि कोई वारंट वैध अवधि की समाप्ति के पूर्व सदस्य के पास नहीं पहुंचे या पुराना हो जाए तो ट्रस्ट ब्याज देने के लिये बाध्य नहीं होगा । सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि एक मात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र है और यूनिट रखे रहना चाहता हो तो एकमात्र नामिती को आवश्यक सुधार के लिये भावी तिमाहियों के नहीं भुनाए गये सभी वारंट वापस करने पड़ेंगे ।

लेकिन यूनिट रखने की इच्छा रखने वाला नामिती उस अवधि के लिये, जो ट्रस्ट को मृत व्यक्ति के पक्ष में जारी करने के लिये सुधार करने में लगेगा कोई ब्याज या प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) संचयी विकल्प :

इस विकल्प में शामिल होने के अपने अधिकार का प्रयोग करने वाला सदस्य कोई लाभांश प्राप्त नहीं करेगा । सदस्य के खाते में यूनिट जमा रहने की तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के समय प्रति यूनिट न्यूनतम रु. 20,375 की पुनर्खरीद पर यूनिट की पुनर्खरीद की जाएगी (अर्थात् 200 यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य 4075/- रु. होगा) ।

दोनों विकल्पों में बोनस लाभांश :

दोनों विकल्पों में तीसरे वर्ष के अंत में बोनस लाभांश की घोषणा की जा सकती है परिपक्व होने पर अदा किया जाएगा ।

10. प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और संशोधन कार्यालयीन गजट में अधिसूचित किया जाएगा ।

11. प्लान की समाप्ति :

यह प्लान 01-10-1998 को अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगी । सदस्यों की बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और उक्त अवधि में अंतिम पुनर्खरीद के लिये निर्धारित पुनखरीद मूल्य पर उनकी यूनिट के मूल्य का भुगतान किया जाएगा। निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य के अलावा न तो पुनर्खरीद मूल्य की वृद्धि के रूप में और न ही किसी परवर्ती अवधि के लिये लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित होगा । ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से भरे गये पुनर्खरीद पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त करने और अन्य प्रक्रिया और परिचालन औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिये प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य प्रपत्र, यदि हो, निरस्तीकरण के लिये ट्रस्ट द्वारा रख लिये जाएंगे ।

12. सदस्यों पर प्लान का बाध्यकारी होना :

इस प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इसमें किये गये संशोधन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मानो वह व्यक्त रूप से बाध्य होने के लिये सहमत हो, के लिये बाध्यकारी होंगे ।

13. प्लान के उपबंध योजना के उपबंधों के अधीन होंगे :

इस प्लान के अंतर्गत अर्पित यूनिट संबंधी प्लान के उपबंध यूनिट अर्जन और उससे संबंधित अन्य मामलों में तथा उन मामलों में जो, इसमें विनिर्दिष्ट नहीं हैं, डिफर्ड आय यूनिट योजना 1993 (डीआईयूएस-1993) के उपबंधों के अधीन पढ़े जाएंगे।

14. प्लान की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी :

इस प्लान की प्रतिलिपि, जिसमें इसके सभी संशोधन भी शामिल होंगे, 5/-रु. (पांच रुपये मात्र) के भुगतान पर कार्य-समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिये हमेशा उपलब्ध कराई जाएगी ।

15. सदस्यों के लाभ :

योजना की समाप्ति के समय उपलब्ध पूंजी रिजर्व और अधिशेष, यदि हो, के संबंध में योजना के अंतर्गत उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को वितरित किये जाएंगे, जिनके पास इसकी समाप्ति के समय यूनिटें होंगी ।

16. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार :

प्लान के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को प्लान के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम निश्चायक और बाध्यकारी होगा ।

17. उपबंधों का शिथिलन/परिवर्तन/संशोधन :

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत निर्मित प्लान के निर्बाध और सहज परिचालन के लिये प्लान के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी यूनिटधारक या यूनिटधारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए ।

डिफर्ड आय यूनिट योजना 1993

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है ।

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ :

(1) यह योजना डिफर्ड आय यूनिट योजना-1993 कही जाएगी । इस योजना में 5 वर्षों की अवधि के लिये डिफर्ड आय या संचयी विकल्प में शामिल होने का विकल्प होगा । इस योजना के उपबंध दोनों विकल्पों पर लागू होंगे और जहां उपबंधों में अंतर होगा, तदनुसार संबंधित विवरण दिये जाएंगे ।

(2) यह 02-08-1993 से प्रवृत्त होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिये होगी ।

(3) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के अभिदान के लिये पेशकश 2-8-1993 से 14-9-1993 तक (दोनों दिन शामिल) 44 दिनों के लिए खुली रहेगी लेकिन अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी यथानिर्णीत समाचार पत्रों में एक सप्ताह की अग्रिम सूचना देकर या उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कभी भी योजना के अंतर्गत यूनिट पेशकश स्थगित कर सकते हैं या उक्त अवधि के बाद अवधि बढ़ा सकते हैं ।

2. परिभाषा :

इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 से है ।

(ख) यूनिटों की बिक्री के लिए ट्रस्ट को आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पत्र के संदर्भ में "स्वीकृति तिथि" का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन ट्रस्ट द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि आवेदन सही है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत "आवेदक" का तात्पर्य और उसमें शामिल ऐसे व्यक्ति और पात्र संस्थाएं हैं, जिनका विस्तृत वितरण इसके पैरा 4 में किया गया है ।

1 [(सीए) इस योजना के अन्तर्गत अभिव्यक्ति के रूप में "सदस्य" का तात्पर्य और उसमें शामिल ऐसा आवेदक है, जिसे इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों का आबंटन किया गया हो।]

1. 12-07-93 को जोड़ा गया ।

(घ) "पात्र संस्था" का तात्पर्य ऐसे पात्र न्यास से है, जिसकी परिभाषा भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य अधिनियम 1964 में दी गई है और उसमें लिखित रूप में किसी लिखित द्वारा स्थापित निजी न्यास शामिल है, जो अपरिवर्तनीय हो ।

(च) निर्गत "यूनिटों की संख्या" का तात्पर्य बेची गयी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से है ।

(छ) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का तात्पर्य ऐसे शेयर बाजार से है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन तत्समय मान्यताप्राप्त शेयर बाजार है ।

(ज) "विनियमावली" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 से है ।

(झ) "समिति" का तात्पर्य समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समिति और तत्समय प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित समिति से है ।

(ट) "यूनिट" का तात्पर्य यूनिट पूंजी में 10 रुपये के अंकित मूल्य के अलग-अलग शेयर से है ।

(ठ) सभी अन्य अभिव्यक्तियों जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा । आवेदन 100 यूनिटों के गुणक में होंगे और न्यूनतम 200 यूनिटों के लिये आवेदन करना होगा । इसके लिये कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।

4. यूनिटों के लिए आवेदन :

(क) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं अर्थात्

(ख) व्यक्ति एकल रूप में अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में/दोनों में से एक या उत्तरजीवी आधार पर ।

(ग) माता-पिता, सौतेला माता-पिता या किसी अवयस्क की ओर से अन्य विधिक अभिभावक । किसी वयस्क या अवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन नहीं किया जा सकता है ।

(घ) योजना के अन्तर्गत परिभाषित कोई पात्र संस्था ।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(छ) निगमित निकाय (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत स्थापित बैंक और अलाभकारी कम्पनियां सहित ।)

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही किये जाएंगे ।

(3) पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन के साथ नकदी, चेक या ड्राफ्ट में किये जाएंगे । चेक और ड्राफ्ट उस शहर में स्थित बैंकों की शाखाओं पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन किया जाए ।

यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए, तो स्वीकृति तिथि वही होगी जिस तिथि को चेक ट्रस्ट को या किसी पदनामित बैंक की शाखा को प्राप्त होगा, बशर्ते कि चेक की वसूली हो । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी बशर्ते कि ड्राफ्ट की वसूली हो और आवेदन समुचित समय के भीतर ट्रस्ट को या किसी पदनामित बैंक की शाखा को प्राप्त हो जाए ।

1. [सदस्यता सूचना आवेदक द्वारा दिये गये पते पर डाक द्वारा भेजी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे प्रेषित सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने, गलत सुपुर्दगी होने या सुपुर्दगी नहीं होने का कोई दायित्व वहन नहीं करेगा ।]

5. यूनिटों की पेशकश :

इस योजना के अंतर्गत यूनिटों की पेशकश 2-8-1993 से 14-9-1993 तक (दोनों दिन मिलाकर) 44 दिनों के लिये खुली रहेगी ।

14-9-1993 को कार्य समाप्ति के बाद ट्रस्ट को या अन्य बैंक शाखाओं को प्राप्त आवेदन अमान्य होंगे और अस्वीकृत कर दिये जाएंगे ।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा

आवेदन अपूर्ण होने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसे आवेदन राशि की निर्व्याज वापसी यथाशीघ्र कर दी जाएगी ।

शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन

25 अगस्त 1993 को या उसके पहले डिफर्ड आय और संचयी विकल्प में शामिल होने वाले अगस्त 1993 के लिये 1.25% का, शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे, जो सदस्यता सूचना के साथ अलग चेक से भेजा जाएगा ।

6. यूनिटों की पुनर्खरीद :

"ट्रस्ट योजना के पहले वर्ष में यूनिट की पुनर्खरीद नहीं करेगा । लेकिन ट्रस्ट योजना के दूसरे वर्ष से यूनिट की पुनर्खरीद निम्नलिखित रीति से करेगा :

(क) योजना के दूसरे और तीसरे वर्ष में यूनिट की पुनर्खरीद सममूल्य पर अंकित मूल्य के 5% तक प्रशासनिक व्यय घटाने के बाद की जा सकती है।

(ख) चौथे वर्ष से यूनिट की पुनर्खरीद शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% तक प्रशासनिक व्यय घटाने के बाद तिमाही आधार पर परिकलित शुद्ध आस्ति मूल्य पर की जा सकती है ।" 9 अगस्त 1993 को प्रतिस्थापित ।

7. यूनिट की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध

इस योजना के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की बिक्री या पुनर्खरीद के लिये बाध्य नहीं होगा :

(i) किसी कार्येतर दिवस को;

1. यूनिट प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा दिये गये पते पर बिना पावती पत्र के पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और ट्रस्ट ऐसे प्रेषित प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने, गलत सुपुर्दगी होने या सुपुर्दगी नहीं होने का कोई दायित्व वहन नहीं करेगा। 12-07-1993 को प्रतिस्थापित किया गया ।

(ii) उस अवधि में (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित), जब बहियों और लेखों की वार्षिक बन्दी के कारण सदस्यों की पंजी बंद रहती है ।

स्पष्टीकरण :

इस योजना के प्रयोजनार्थ "कार्य दिवस" का अभिप्राय उस दिन से है, जो न तो (i) महाराष्ट्र राज्य में या किसी अन्य राज्यों में जहां ट्रस्ट के कार्यालय है, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी के रूप में अधिसूचित हो और न ही (ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिन के रूप में अधिसूचित हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

8. बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य :

(1) 2 अगस्त 1993 से 14 सितम्बर 1993 के दौरान प्रति-यूनिट 10/-रु. के अंकित मूल्य पर यूनिट की बिक्री की पेशकश की जाएगी ।

(2) खंड 24 में यथाविनिर्दिष्ट रीति से योजना की समाप्ति की स्थिति में ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण निम्न रूप में करेगा । योजना की समाप्ति के लिए अधिसूचित तिथि को कार्य समाप्ति पर योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्य में उसकी दायित्वों को घटाकर बकाया यूनिटों की संख्या से उसमें भाग दें और उसमें वह राशि घटाएं, जो ट्रस्ट की राय में दलाली, कमीशन कर यदि हो, स्टाम्प शुल्क और ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से संबंधित अन्य खर्चों तथा अन्य समायोजन और सदस्यों में योजना से संबंधित आस्तियों के वितरण के लिये पर्याप्त हो। ऐसी स्थिति में पुनर्खरीद मूल्य का संबंध सममूल्य के अलावा प्रति यूनिट आस्ति के वितरण योग्य अंश घटक से भी होगा तथा उस रीति से निकाला जाएगा, जिससे उसके लेखा परीक्षकों का समाधान हो और उस पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो ।

9. अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

खंड 24 में उपबंधित रीति से योजना की समाप्ति के बाद ट्रस्ट अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण करने के बाद यथाशीघ्र यथोचित रूप में प्रकाशित करेगा ।

10. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) खंड 9 के उप खंड (2) में आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ आस्तियों का वर्गीकरण (अ) नकदी (आ) निवेश और (इ) अन्य आस्तियों में किया जाएगा ।

(2) निवेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित लिये जाएंगे :

अ. (क) जिस कार्य दिवस को ट्रस्ट द्वारा रखी गई इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा, उस कार्य दिवस को शेयर बाजार में उसका बंद मूल्य, लेकिन जहां प्रतिभूति एक से अधिक शेयर बाजार में कोट होती हो, वहां ऐसी प्रतिभूति के मूल्यांकन के निर्धारण की रीति से संबंधित निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया जाएगा ।

(ख) जहां संबंधित अवधि में निवेश का लेनदेन नहीं हुआ हो या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में कोट नहीं हुआ हो, जैसी परिस्थितियों में ट्रस्ट जो भी मूल्य निर्धारित करेगी, वही निवेश का उचित मूल्य होगा ।

आ. (क) ब्याज आर्जित करनेवाली जमा राशियों के मामले में उचित लेकिन अप्राप्त ब्याज ।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण पत्रों के मामले में उचित लेकिन अप्राप्त ब्याज और

(ग) लाभांश रहित कोट किये गये अधिमान और इक्विटी शेयरों के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश ।

(3) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके वही मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

11. सदस्यता सूचना का फार्म :

1. [इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के अधीन निर्गत यूनिटों के लिये सदस्यों को उस को सदस्यता से संबंधित कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । लेकिन सदस्यता सूचना दी जाएगी । सदस्यता सूचना ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र में होगा और ट्रस्ट की ओर से उस पर अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।]

12. 2[ ]

13. ट्रस्ट द्वारा मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और जो यूनिट उसके नाम से है, चूंकि उसमें उसका अधिकार, हक या हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इसके विपरीत किसी नोटिस या न्यास के निष्पादन की नोटिस से बाध्य नहीं होगा, सिवाय उसके, जहां इसमें व्यक्त रूप में कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी कार्यालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि योजना या उसके अंतर्गत बने प्लान के अधीन निर्गत यूनिटों में निहित हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या हक को प्रभावित करने वाले अन्य हित को मान्यता दी जाए ।

---

1. "यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म 'ए' में होंगे । प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र में विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या और यूनिटधारक का नाम 12-07-93 को प्रतिस्थापित।"

2. "यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने का तरीका" "यूनिट प्रमाणपत्र समय-समय पर किये गये निर्णय के अनुसार उत्कीर्ण, लिथोग्राम या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । हरेक ऐसा हस्ताक्षर अपने हाथ से किया जाएगा या यांत्रिक विधि से किया जाएगा । जबतक यूनिट प्रमाणपत्र पर इस प्रकार से से हस्ताक्षर नहीं किया जाता, तबतक वह विधिमान्य नहीं होगा । इस प्रकार से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा तथा जारी किये जाने के पूर्व उस पर जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था, चाहे अब वह ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत नहीं रहा हो, बाध्यकारी होगा । किन्तु यह और इस प्रकार से तैयार किये गये यूनिट प्रमाणपत्र पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, तो प्रमाणपत्र जारी करने समय मृत हो तो ट्रस्ट उन रीति से, जिसे वह सर्वाधिक उपयुक्त समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता है । इस प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमान्य होगा ।" संबंधी खंड 12-07-93 से हटा दिया गया ।

14. सदस्यता सूचना का विनियम और कटे-फटे, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया

1. [उक्त प्रयोजनों के लिये योजना और उसके अधीन बने प्लान के अंतर्गत सदस्य ऐसे नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेगा, जैसा समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाया जाये अपेक्षित हो।

15. सदस्यों की पंजी

सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये जाएंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी :

(क) सदस्यों के नाम और पते,

(ख) सदस्यता सूचना की विभेदक संख्या और हरेक व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या,

(ग) वह तिथि, जिससे वह व्यक्ति यूनिट का धारक बना ।

(2) (क) यदि सदस्यता दो व्यक्तियों के नाम में पंजीकृत हो तो ऐसे व्यक्ति संयुक्त आधार पर यूनिट धारक माने जाएंगे और सदस्य पंजी में प्रथम नाम के व्यक्ति द्वारा की गई राशि की प्राप्ति तथा भुगतान समुचित निपटान माना जाएगा ।

(ख) जहां दो व्यक्ति, जिनमें कोई भी अवयस्क नहीं हो, अपने पक्ष में यूनिट जारी करने के लिये आवेदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि उनमें से किसी एक को व्यवहार करने की अनुमति दी जाए तो ट्रस्ट ऐसे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अपनी बहियों में उपयुक्त प्रविष्टियां करेगा उसके बाद दोनों में से कोई एक धारक निर्गत यूनिट के संबंध में व्यवहार करने का हकदार होगा और ऐसी यूनिट से संबंधित राशि की प्राप्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति में से किसी एक के द्वारा किया गया निपटान ऐसी राशि के लिये किया गया निपटान माना जाएगा । लेकिन निर्गत यूनिट के संबंध में घोषित आय वितरण का भुगतान सदस्यों की पंजी में प्रविष्ट प्रथम नाम के व्यक्ति को किया जाएगा ।

(3) किसी सदस्य के नाम और पते में परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाए । ऐसे परिवर्तन का समाधान हो जाने पर और अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर रजिस्ट्रार तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा ।

(4) इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पंजी बंदी को छोड़कर कार्यसमय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाये गये समुचित प्रतिबंधों के अंतर्गत लेकिन प्रत्येक कार्यदिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) निःशुल्क पंजी कार्य-समय के दौरान किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिये खुली रहेगी ।

(5) ट्रस्ट द्वारा निर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बंदी रखी जा सकती है, लेकिन एक वर्ष में 60 दिन से अधिक समय के लिये पंजी बंद नहीं रखी जाएगी । किसी अवधि या अवधियों के लिये पंजी-बंदी की सूचना बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जाएगी ।

किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक न्यास की सूचना किसी भी यूनिट संबंधी पंजी में प्रविष्ट नहीं की जाएगी।

14 अ. पात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन और उनका पंजीकरण

1. पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियों (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जा सकती हैं ।

2. पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों और समितियों को, जब कभी अपेक्षित हो, ट्रस्ट को सभी संबंधित दस्तावेज, जिसमें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता का उल्लेख हो, जैसे ज्ञापन और अंतर्नियम, उपविधि, प्रबंध निकाय के संकल्प, जिसके द्वारा यूनिट में निवेश के लिये प्राधिकृत किया गया हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

15 आ. अवयस्क की ओर से आवेदन

(1) माता-पिता, सौतेला माता-पिता या किसी अवयस्क के अन्य विधिक अभिभावक होने के नाते कोई वयस्क व्यक्ति यूनिट के लिये आवेदन कर सकता है और अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2क) तथा इस योजना के उपबंधानुसार तथा सीमा तक व्यवहार कर सकता है ।

(2) यूनिट के लिये आवेदन करते समय ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में उसको अवयस्क की उम्र तथा अवयस्क की ओर से यूनिट रखने और उससे संबंधित व्यवहार करने की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

---

1. "यदि कोई प्रमाणपत्र कट-फट जाए या फटा-पुराना हो जाए या विरूपित हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसमें यूनिटों की कुल संख्या वही होगी, जो कटे-फटे या फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों में थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाए, चोरी या नष्ट हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी ही न किया जाएगा, जबतक आवेदक ने पहले ही :

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्रों के कटे-फटे होने फटे-पुराने होने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हो ।

(2) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान नहीं कर दिया हो ।

(3) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित होने की दशा में जैसा यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो

(4) ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया हो । इस खंड के उपबंधों के अधीन ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने दायित्व का वहन नहीं करेगा ।

(2) इस खंड के उपबंधों के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा करेगा कि आवेदक उसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र के लिए 1 - रु. का भुगतान करे । साथ ही, स्टाम्प शुल्क यदि हो, डाक पंजीकरण प्रभार सहित अन्य खर्च या कर, जो ट्रस्ट की राय में पर्याप्त हो, तथा ऐसे प्रमाण-पत्र निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय हो, का भुगतान करे" के लिये 12-07-93 को प्रतिस्थापित ।

लेकिन ट्रस्ट बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के आवेदन पत्र में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन पर कार्रवाई करने का हकदार होगा ।

16. ट्रस्ट को सदस्य द्वारा रसीद

सदस्यता सूचना में अंकित यूनिट के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिए सदस्य की रसीद ट्रस्ट को लिये अच्छा निपटान होगी।

17. सदस्य की मृत्यु या दिवाला

(1) योजना के अंतर्गत निर्गत यूनिटों के संयुक्त सदस्यों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी ही वह व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्ट द्वारा निर्गत यूनिटों के हकदार या हिताधिकारी के रूप में मान्यता दी जाएगी। लेकिन इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद उक्त यूनिट से संबंधित उत्तरजीवी के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) किसी एकल सदस्य या संयुक्त सदस्यों की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ही योजना के अंतर्गत निर्गत यूनिट के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(3) सदस्यों द्वारा वैध नामांकन नहीं करने पर मृत सदस्य का निष्पादक या प्रशासक अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्ट द्वारा यूनिट के हकदार के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हक का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जैसा ट्रस्ट उपयुक्त समझे, उसको मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य सममूल्य पर तथा खण्ड 6 के अंतर्गत विशेष रूप से या ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित दर पर दिये गये लाभांश का भुगतान दावेदार द्वारा दावा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर किया जायेगा । यदि पात्र यूनिटधारक नामिती हो तो उस नामिती की इच्छा पर मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने की अनुमति और सदस्य के रूप में पंजीकृत रखने की अनुमति दी जाएगी और उसकी इच्छानुसार न्यूनतम धारण संबंधी शर्तों के अधीन उसके नाम से यूनिट संबंधी सदस्यता सूचना जारी की जाएगी ।

18. यूनिट का अंतरण

1. [योजना के अंतर्गत निर्गत यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय नहीं है ।]

1[योजना के अंतर्गत निर्गत यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने लिखित रूप से किसी लिखित द्वारा अपने पास रखी यूनिटों या किसी यूनिट का अंतरण करने का हकदार होगा, लेकिन ऐसा अंतरण पंजीकृत नहीं किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप अंतरक या अंतरिती सौ के गुणक से भिन्न यूनिट की संख्या का धारक हो ।

(2) प्रत्येक अंतरण लिखित पर अंतरक और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और यह समझा जायेगा कि अंतरक तब तक अंतरित यूनिट का धारक बना रहेगा, जब तक उसकी पंजी में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं कर दिया जाता ।

(3) प्रत्येक अंतरण लिखित विधिवत रूप से स्टाम्प लगाया जायेगा (यदि कानून के अन्तर्गत स्टाम्प लगाना अपेक्षित हो) और यूनिट प्रमाणपत्र तथा अंतरण के अधिकार के समर्थन में या यूनिट के अंतरण के उसके अधिकार के समर्थन में अपेक्षित अन्य साक्ष्य पंजीकरण के लिए ट्रस्ट के पास छोड़ दिए जाएंगे । लगाए जानेवाले स्टाम्प मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक यूनिट का मूल्य 10 रुपए अर्थात् सममूल्य होगा । यदि अंतरण लिखत पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं होगा तो ट्रस्ट का अंतरण लिखत अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(4) पंजीकरण के लिए ट्रस्ट के पास हरेक अंतरण लिखत संबंधित प्रमाणपत्र सहित बहीबंदी (वर्ष में दो बार) की अवधि के कम से कम एक महीना पहले प्रस्तुत करना होगा । यदि बहीबंदी की अवधि के बाद ट्रस्ट की बहियों में अंतरण पंजीकृत किया जाता है, तो संबंधित छ:माही के लिए उपचित लाभांश का भुगतान अंतरक को किया जाएगा ।

(5) जब यूनिट पदीय नाम से जारी किए जाते हैं, तब वे बिना किसी अंतरण लिखत के एक पदधारक से दूसरे पदधारक के नाम उस तिथि को और से, जब दूसरे ने कार्यालय का प्रभार लिया हो, अंतरित समझे जाएंगे । जब कोई पदधारक धारित यूनिट का अंतरण ऐसे व्यक्ति को करता है, जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तब अंतरण कार्यालय के पदधारक द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण लिखत द्वारा किया जाएगा ।

(6) बैंक में आवेदक द्वारा गिरवी रखे गए यूनिट प्रमाणपत्र की पंजी में पुनर्ग्रहणाधिकार की नोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है । इस प्रकार की गिरवी यूनिट प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों के लिए ही की जाएगी, न कि उससे प्राप्त आय के लिए ।

"यूनिट के आंशिक अंतरण की अनुमति नहीं है" 12-7-1993 को प्रतिस्थापित ।

19. सदस्यों द्वारा नामांकन

(1) एकल सदस्य या संयुक्त रूप में यूनिट रखनेवाले दो सदस्य विनियमावली में दी गयी सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने का प्रयोग कर सकते हैं । अनिवासी भारतीय इस शर्त पर नामांकित किए जा सकते हैं कि आगम का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता ।

(2) माता-पिता या अवयस्क की ओर से कानूनी अभिभावक, कोई पात्र संस्था, हिन्दू अविभक्त परिवार और निगमित निकाय जैसे सदस्यों को नामांकन का अधिकार नहीं होगा ।

20. निवेश सीमा

(1) इस योजना की निधियों में से निवेश किसी एक निगम की प्रतिभूतियों में उसकी निर्गत और बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा । लेकिन नए औद्योगिक उपक्रम द्वारा निर्गत प्रारम्भिक पूंजी में किया गया कुल निवेश कभी भी उक्त निधियों की कुल राशि के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) उपखंड (1) में निर्धारित सीमाएं किसी कम्पनी के बोंड, जमा राशि और ऋण पत्रों, चाहे वे सुरक्षित हों या नहीं, ट्रस्ट के निवेश पर लागू नहीं होंगी ।

21. **आय वितरण**

(1) **डिफर्ड आय विकल्प**

ट्रस्ट योजना के पहले दो वर्षों के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं करेगा । उसके बाद योजना के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के लिए तिमाही आधार पर 28% वार्षिक की दर से लाभांश घोषित किया जाएगा ।

प्रत्येक तिमाही के लिए आय वितरण उस तिमाही के अंत में देय होगा और उसका भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर आय वितरण वारण्ट या सममूल्य पर भुनाने योग्य किसी लिखत के माध्यम से पूर्व अदायगी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा । तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के लिए आय वितरण वारण्ट सदस्यों को अग्रिम रूप में भेजे जाएंगे ।

हरेक वारण्ट की देय अवधि तीन महीने की होगी । यदि कोई वारण्ट देय अवधि की समाप्ति के पूर्व सदस्य के पास नहीं पहुंचे या पुराना हो जाए तो ट्रस्ट ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं होगा । सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि एकमात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र हो और यूनिट रखे रहना चाहता हो तो एकमात्र नामिती को आवश्यक सुधार के लिए भावी तिमाहियों के नहीं भुनाए गए सभी वारण्ट वापस करने पड़ेंगे ।

लेकिन यूनिट रखने की इच्छा रखने वाला नामिती उस अवधि के लिए, जो ट्रस्ट को मृत व्यक्ति के पक्ष में निर्गत वारण्ट को नए प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में जारी करने के लिए सुधार करने में लगेगा, कोई ब्याज या प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) **संचयी विकल्प**

इस विकल्प में शामिल होने के अपने अधिकार का प्रयोग करने वाला सदस्य कोई लाभांश प्राप्त नहीं करेगा । सदस्य के खाते में यूनिट जमा रहने की तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के समय प्रति यूनिट न्यूनतम रुपए 20.375 के पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद की जाएगी (अर्थात् 200 यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य 4075/- रुपए होगा) ।

दोनों विकल्पों में बोनस लाभांश

दोनों विकल्पों में तीसरे वर्ष के अंत में बोनस लाभांश की घोषणा की जा सकती है और परिपक्व होने पर अदा किया जाएगा ।

22. **लेखों का प्रकाशन**

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा यथानिर्णीत विधि से 30 जून को समाप्त अवधि में योजना के कार्यों को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट रीति से लेखों का प्रकाशन करेगा । ट्रस्ट किसी सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे की प्रति भेजेगा ।

23. **योजना में परिवर्धन और संशोधन**

बोर्ड समय-समय पर योजना में कोई परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और संशोधन कार्यालयीन गजट में अधिसूचित किया जाएगा ।

24. **योजना की समाप्ति**

यह योजना 30-9-1998 को अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगी । सदस्यों की बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और उक्त अवधि में अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर उनकी यूनिट के मूल्य का भुगतान किया जाएगा । निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य के अलावा न तो पुनर्खरीद मूल्य की वृद्धि के रूप में और न ही किसी परवर्ती अवधि के लिए लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित होगा । ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से भरे गए पुनर्खरीद पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त करने और अन्य प्रक्रिया एवं परिचालन औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य प्रपत्र, यदि हों, निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे ।

25. **सदस्यों पर योजना का बाध्यकारी होना**

इस योजना की शर्तों के साथ समय-समय पर इसमें किए गए संशोधन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति, मानो वह व्यक्त रूप से बाध्य होने के लिए सहमत हो, के लिए बाध्यकारी होंगे ।

26. **योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाएगी**

इस योजना की एक प्रतिलिपि, जिसमें इसके सभी संशोधन भी शामिल होंगे, 5/- रुपए के भुगतान पर कार्य समय के दौरान हमेशा ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए कार्यालय के लिए उपलब्ध करायी जाएगी ।

27. **सदस्यों को लाभ**

योजना की समाप्ति के समय उपलब्ध पूंजी रिजर्व और अधिशेष, यदि हो, के संबंध में योजना के अंतर्गत उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को वितरित किए जाएंगे, जिनके पास इसकी समाप्ति के समय यूनिटें होंगी ।

28. **उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार**

योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवालों या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम, निश्चायक और बाध्यकारी होगा ।

29. **उपबंधों का शिथिलन/परिवर्तन/संशोधन**

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल/

परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी यूनिट धारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए ।

योजना के उपबंधों में उल्लिखित शब्द "यूनिट धारक" और "यूनिट प्रमाण-पत्र" हटा दिए गए हैं और उनके स्थान पर 12-7-1993 को क्रमशः "सदस्य" और "सदस्यता सूचना" प्रतिस्थापित किए गए हैं ।

फार्म-ए [निरस्त]

"यूनिट पुनर्खरीद के लिए आवेदन पत्र" [निरस्त]

यूनिट प्रमाणपत्र संबंधी फार्म ए और यूनिट पुनर्खरीद के लिए आवेदन पत्र 12-7-1993 को निरस्त कर दिए गए ।

यूटी/डीबीडीएम/आर 54 ए/एसपीडी 64/93-94—चिल्ड्रेन्स कालेज और कैरियर फण्ड यूनिट प्लान-1993 के प्रावधान जिन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए हैं और चिल्ड्रेन्स कालेज और कैरियर फण्ड यूनिट योजना-1993 जिन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी हैं और जिन्हें 13 सितम्बर 1993 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं, के संशोधन इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

अनुबंध

चिल्ड्रेन्स कालेज और कैरियर फण्ड यूनिट प्लान/योजना-1993 (सीसीसीएफ-93) के प्रावधानों के संशोधन

1. प्लान के प्रावधानों में यूनिटों के लिए आवेदन का खंड 2 निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :

> "किसी वयस्क व्यक्ति (निवासी/अ-निवासी बच्चे के पक्ष में निवासी/अ-निवासी) कम्पनी, निगमित निकाय, पात्र संस्था (सहकारी समितियों को छोड़कर) या न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया अभिभावक जो आवेदन पत्र की तारीख को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हित के लिए योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं, के द्वारा यूनिटों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं ।"

2. योजना के प्रावधानों में यूनिट के लिए आवेदन का खंड 4 निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :

> "योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन, किसी निवासी/अ-निवासी वयस्क अर्थात् माता-पिता, संबंधी या मित्र (निवासी/अ-निवासी किसी निवासी/अ-निवासी बच्चे के पक्ष में) कम्पनी, निगमित निकाय, पात्र संस्था (सहकारी समितियों को छोड़कर) या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन की तिथि को जिस बच्चे की आयु 15 वर्ष से कम हो, के लाभ के लिए योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक कर सकते हैं ।"

3. योजना के प्रावधानों में एक नया उप खंड (3) खंड 5 में और प्लान के प्रावधानों में "भुगतान की विधि" के अंतर्गत खंड 3 में जोड़ा गया है :

> "अ-निवासी भारतीय व्यस्क द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ किया जाएगा, अ-निवासी (साधारण)/अ-निवासी (बाह्य)/विदेशी मुद्रा अ-निवासी खाता के नाम जो भारत में विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर के साथ है, को नामे कर या सामान्य बैंकिंग माध्यम द्वारा विदेशी मुद्रा में विप्रेषण द्वारा किया जाएगा । आवेदन पत्र ट्रस्ट के कार्यालय में रुपया चेक/ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है ।
>
> नेपाली या भूटानी मुद्राओं में भुगतान स्वीकार्य नहीं है ।"

4. प्लान के प्रावधानों में "यूनिटों की बिक्री" के खंड 4 में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है :

> "अ-निवासी भारतीय आवेदक, की ओर से बच्चे के नाम का सदस्यता प्रमाणपत्र आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा या भारत में आवेदक के बैंक के पते पर जो अधिकृत डीलर हैं या आवेदक के वर्तमान/स्थायी निवास के देश में बैंक के पते पर भेज दिया जाएगा ।"

5. योजना के प्रावधान में "अ-निवासी आदाता बच्चे को छात्रवृत्ति के भुगतान की विधि" में निम्नलिखित नया खंड 4 बी के रूप में जोड़ दिया गया है :

> "अ-निवासी बच्चे के मामले में, छात्रवृत्ति राशि विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जाएगी/अ-निवासी (बाह्य)/एफसीएनआर खाते में जमा कर दी जाएगी बशर्ते कि मूल यूनिट विदेश से प्राप्त विप्रेषण द्वारा या अ-निवासी (बाह्य)/एफसीएनआर खाते को नामे कर खरीदी गयी हों तथा बच्चा विदेश का निवासी बना हुआ हो ।"

6. योजना के प्रावधानों के खंड 14 में और "आहरण" पर प्लान के प्रावधानों में खंड 7 में निम्नलिखित को जोड़ा गया है :

> "अ-निवासी बच्चे के मामले में, आहरण मुद्रा को अवरुद्ध अवधि की समाप्ति के बाद विदेशी मुद्रा में विप्रेषित किया जाएगा, बशर्ते कि मूल यूनिट विदेश से प्राप्त विप्रेषण द्वारा या अ-निवासी (बाह्य)/एफसीएनआर खाता से खरीदी गयी हों और आदाता बच्चा विदेश का निवासी बना हुआ हो । यदि यूनिट अ-निवासी (साधारण) खाता से खरीदी गयी हों, आहरण राशि अ-निवासी (साधारण) खाता में बच्चे के नाम, भारत के बैंक में जो विदेशी मुद्रा का अधिकृत डीलर है, जमा कर दिया जाएगा । निवासी बच्चे, के मामले में, उसे आहरण राशि का भुगतान रुपयों में किया जाएगा ।"

7. चूंकि अ-निवासी दाता/अ-निवासी आदाता बच्चों के लिए लागू प्रावधान में परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनियम में परिवर्तन अनुसार होता है, अतः योजना के प्रावधान में "सदस्यों के लिए लाभ" में खंड 27 में निम्नलिखित जोड़ा जाता है :

किसी अ-निवासी वयस्क व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में अ-निवासी/निवासी आदाता बच्चे को और अ-निवासी दाता (आवेदक) को दिए गए लाभों/सुविधाएं समय-समय पर लागू विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार होंगी ।

8. प्लान के खंड 12 योजना के खंड 25 के शीर्षक निम्नलिखित रूप में परिवर्तित किए जाते हैं :—

"आवेदकों पर प्लान/योजना के बाध्यकारी होने" के बदले सदस्यों पर प्लान/योजना को बाध्यकारी होना ।"

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 4th October 1993

NOTICE

In terms of Section 29 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Patiala and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri K. K. Khandelwal as Managing Director of State Bank of Patiala as from the 4th October 1993 for a period of two years vice Shri M. Mandal.

Sd/- ILLEGIBLE

Chairman.

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 29th September 1993

No. UT/DBDM/R54A/SPD72B/93-94.—The provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1993 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th June, 1993, the provisions of the Deferred Income Unit Plan 1993 formulated under Section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 and amendments to the provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1993 approved by the Executive Committee in the meeting held on 12th July, 1993 are published herebelow.

PROVISIONS OF

DEFERRED INCOME UNIT PLAN-1993

In exercise of the powers conferred by Section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52) of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Plan :

(1) This Plan shall be called the Deferred Income Unit Plan-1993 (DIUP-93) under the Deferred Income Unit Scheme-1993 (DIUS-93).

(2) There shall be an option under the scheme to participate either for Deferred Income or Cumulative option for a period of 5 years. The provisions of the Plan will be applied to both options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

(3) It shall come into force on the 2nd day of August 1993 and shall be for a period of 5 years.

(4) The offer for subscription of units under the scheme will be open for 44 days from 02-08-1993 to 14-09-1993 (both days inclusive). Provided that the Chairman or the Executive Trustee may suspend the offer of units under the Plan at any time before the expiry of the aforesaid period or extend the period of offer beyond the aforesaid period by giving a week's notice in advance in such newspapers as may be decided.

II *Face Value of each Unit*

The face value of each unit shall be ten rupees. Applications shall be in multiples of 100 units subject to a minimum of 200 units. There is no maximum limit.

III. *Application for Units*

(a) Application for units may be made by residents only viz

(b) Individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis

(c) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(d) an eligible institution as defined under the scheme.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) Hindu Undivided families.

(g) Bodies Corporate (including banks and non profit-making Companies formed under section 25 of the Companies Act, 1956 but excluding other Companies Registered under Companies Act 1956).

(2) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

(3) *Mode of Payment*

The payment for the units applied for by an eligible person shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated. If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, by the date on which the cheque is received by the Trust or by a branch of a designated bank. If payment is made by draft the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust or a branch of a designated bank within a reasonable time.

A Membership advice will be sent by post to the address given by the applicant and the Trust will not incur any liability for the loss, damage, misdelivery, or non-delivery of the advice, so sent.

IV. *Offer of units* :

The offer of units under the Scheme shall be open for a period of 44 days commencing from 02-08-1993 to 14-09-1993 (both days inclusive).

Applications received ofter the close of business hours on 14-09-1993 and subsequently at any of the Offices of the Trust or other bank branches shall be deemed invalid and rejected.

Incomplete application liable for rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made as soon as posible without any interest whatsoever.

Early Bird Incentive : Those joining on or before 25th of August 1993 both under Deferred income as well as Cumulative option shall receive an early bird incentive of 1.25% to be paid by means of a separate cheque to be sent alongwith the Membership advice.

V. *Repurchase of units* :

The Trust shall not repurchase units during the first year of the Plan. However, the Trust shall repurchase the units from second year of the Plan in the following manner :

(a) During the currency of the second year and third year of the Plan, units can be repurchased at par after deducting the administrative cost not exceeding 5% of the face value.

(b) From fourth year onwards, units can be repurchased at Net Asset Value calculated on quarterly/monthly basis after deducting the administrative cost not exceeding 5% of NAV.

VI. Death or bankruptcy of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of the units alloted under the scheme and the Plan made thereunder, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member or joint members the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units issued under the Scheme.

(3) In the absence of a valid nomination by members, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a member may, upon producing such evidence as to his title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at par along with such dividend as in more specifically given under Clause V or at such rate as may be determined by the Trust after the formalities in connection with the claim have been compiled with by the claimant. In the event the nominee registered under the Scheme and the Plan made thereunder is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership advice in his name in respect of units so desired to be held subject to the condition regarding minimum holdings.

VII. Transfer of Units :-

Units issued under the Scheme and the Plan made thereunder are not Transferable or Pledgeable or Assignable.

VIII. Nomination by members :-

(1) Members holding units singly or two members holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations. Non-resident Indians can be nominated on the condition that the proceeds cannot be repatriated.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible institution, HUFs and Bodies Corporate shall have no right to make any nomination.

IX. Income Distribution :

(i) *Deferred Income Option*

The Trust shall not declare any dividend under the Scheme and the Plan made thereunder for the first two years. Thereafter dividend will be declared at the rate of 28% p.a. on quarterly basis for the third, fourth and fifth year.

The income distribution for each quarter shall be made payable at the end of that quarter and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of income distribution warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may decide.

X. Additions and amendments to Plan :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Plan and any amendment thereof will be notified in the Official Gazette.

XI. *Termination of the Plan* :

The Plan shall stand finally terminated on 01-10-1998.

The outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue and the repurchase value will be paid by the Trust as early as possible after the Membership advice with the form of repurchase duly completed has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership advice and other forms, if any, received for repuchase shall be retained by the Trust for cancellation.

XII. *Plan to be binding on members* :

The terms of this plan, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

XIII. *The Provisions of the Plan to be subject to the Provisions of the Scheme*

The Provisions of the Plan in respect of any units acquired under this Plan for acquisition of units and other specified. Income Distribution warrants shall be forwarded to the member in advance for the third, fourth and fifth years.

Every warrant shall have a validity period for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of validity period or in the event of their becoming stale. In the event of death of the single member if the sole nominee is eligible to hold the units and desires to continue to hold the units then the sole nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future quarters for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interst or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants directly issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(ii) *Cumulative Option*

A member exercising his right to participate under this option will not receive any dividend. At the end of the 5-year period units standing to the credit of the member shall be repurchased at a repurchase price of not less than Rs. 20.375/- per unit. (i.e. 200 units the repurchase value will be Rs. 4075/-).

Bonus Dividend under both the options

Under both the options, bonus dividend may be declared at the end of 3rd year and paid on maturity. Matters connected thereto and not specified herein shall be read subject to the Provisions of "Deferred Income Unit Scheme-1993 (DIUS-93)".

XIV. *Copy of Plan to be made available* :

A copy of this plan incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours on payment of a sum of Rs. 5/- (Rupees five only).

XV. *Benefits to the members* :

All benefits accruing under the Plan in respect of capital reserves and surpluses, if any, available at the time of the closure of the plan shall be distributable only among the members who hold the units at its closure.

XVI. *Power to construe provisions* :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Plan, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Plan, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be final, conclusive and binding.

XVII. *Relaxation/Variation/Modification of provisions* :

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the scheme and the Plan made thereunder relax, vary or modify any of the provisions of the Plan in case of any member or class of members upo such conditions as may be deemed expedient.

DEFFERRED INCOME UNIT SCHEME-1993

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of Indin hereby makes the following Unit scheme :

I. *Short Title and commencement* :

(1) The Scheme shall be called the Deferred Incom Unit Scheme 1993. There shall be an option under the scheme to participate either for Deferred Income or Cumulative option for a period of 5 years. The provisions of the scheme will be applied to both options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

(2) It shall come into force from 02-08-1993 and shall be for a period of 5 years.

(3) The offer for subscription of units under the scheme will be open for 44 days from 02-08-1993 to 14-09-1993 (both days inclusive). Provided that the Chairman or the Executive Trustee may suspend the offer of units under the scheme at any time before the expiry of the aforesaid period or extend the period of offer beyond the aforesaid period by giving a week's notice in advance in such news-papers as may be decided.

II. *Definitions* :

In this Scheme, unless the context otherwise requires—

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order accepts the same;

(c) "Applicant" under the scheme shall mean and include individuals and eligible Institutions as more particularly described in paragraph IV hereof;

1[c(a) "member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been alloted units under the scheme and the plan made thereunder];

(d) "eligible Institution" means an eligible Trust defined under the Unit Trust of India General Regulations, 1964 and shall include private trust created by an instrument in writing and which is irrevocable;

(e) "number of units" in issue means the aggregate of the number of units sold and outstanding;

(f) "recognised stock exchange" means a stock exchange which is, for the time being recognised under the securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(g) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(h) "Society means a Society Registered under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any state or central law for the time being in force;

1. Inserted on 12-07-1993.

(i) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital;

(j) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

III. *Face Value of each Unit* :

The face value of each unit shall be ten rupees. Applications shall be in multiples of 100 units subject to a minimum of 200 units. There is no maximum limit.

IV. *Application for units* :

(a) Application for units may be made by residents only viz.

(b) Individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(c) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(d) an eligible institution as defined under the scheme.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) Hindu Undivided families.

(g) Bodies Corporate (including banks and non-profit making Companies formed under Section 25 of the Companies Act, 1956 but excluding other Companies Registered under Companies Act 1956.)

(2) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

(3) The payment for the units applied for by an eligible person shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft . Cheques and drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated. If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or by a branch of a designated bank. If payment is made by draft the acceptance date will, subject to such draft being realised be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust or a branch of a designated bank within a reasonable time.

1 [A Membership advice will be sent by post to the address given by the applicant and the Trust will not incur any liability for the loss, damage, misdelivery, or non-delivery of the advice, so set.]

V. *Offer of units* :

The offer of units under the Scheme shall be open for a period of 44 days commencing from 02-08-1993 to 14-09-1993 (both days inclusive).

Applications received after the close of business hours on 14-09-1993 and subsequently at any of the offices of the Trust or other bank branches shall be deemed invalid and rejected.

1. Substituted for "A unit certificate will be sent by registered post with or without acknowledgement due to the address given by the applicant and the Trust will not incur any liability for the loss, damage, misdelivery, or non-delivery of the certificate, as sent on 12-07-1993.

Incomplete application liable for rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made as soon as possible without any interest whatsoever.

Early Bird Incentive : Those joining on or before 25th of August 1993 both under Deferred income as well as Cumulative option shall receive an early bird incentive of 1.25% for the month of August 1993 to be paid by means of a separate cheque to be sent alongwith the Membership advice.

VI. *Repurchase of units* :

The Trust shall not repurchase units during the first year of the scheme. However, the Trust shall repurchase units from the second year of the scheme in the following manner :

(a) During thee currency of the second year and third year of the scheme, units can be repurchased at par after deducting the admisistrative cost not exceeding 5% of the face value.

(b) From fourth year onwards, units can be repuchased at Net Asset Value calculated on quarterly/monthly basis after deducting the administrative cost "not exceeding 5% of NAV."

VII. *Restrictions on offer and repurchase of units* :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme, the Trust shall not be under an obligation to offer or repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of members is in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purpose of this scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other states where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as day on which the office of the Trust will be closed.

VIII. *Offer and repurchase prices* :

(1) The units shall be offered for sale at the face value of Rs. 10/- per unit during August 02,1993 to September 14, 1993.

(2) In the event of terminatios of the scheme in the manner as specified in Clause XXIV hereof the Trust shall determined the repuchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of business on the date notified for termination reduced by the liabilities pertaining to the scheme asd dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the distribution to the members of the assets in respect of the scheme. In such an event the repurchase price shall bear in addition to the par value the other distributable component of the asset per unit arrived by the

Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

IX. *Publication of final repurchase price* :

(a) Upon termination of the Scheme is the manner provided in Clause XXIV hereof the Trust shall as early as possible after determining the final repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

X. *Valuation of assets pertaining to this Scheme* :

(1) For the purchase of valuation of assets under Subclause (2) of Clause VIII, the assets shall be classified into (A) cash, (B) investments, and (C) other assets.

(2) *Investments shall be valued by taking* :

A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this Scheme, provided where a security is quoted on more than one stock exchange the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock exchange, such value, as the Trust may, in the circumstances consider to be fair value of such investment and

B.(a) In the case of interest earning deposits, interest accrued but not received.

(b) In the case of Government securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) In the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend or any dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued at their book value.

XI. *Form of Membership advice* :

[1][No Unit Certificate shall be issued to a member in respect to his membership for units issued under the scheme and plan made thereunder. They will however be given a membership advice . The membership advice shall be in such form as may be decided by the Trust and shall be signed by an authorised officer on *behalf of the Trust.*]

XII. [2][ ]

XIII. *Trust not to be recognised* :

The person who is registered as the member and in whose name units have been issued he shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as the absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or take notice of the execution of any trust or save as herein expressly provided or as by some court of competent juridiction ordered to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units issued under the scheme and the plan made thereunder.

XIV. Exchange of Membership advice and procedure when the advice is multilated, defaced, lost etc.

[3][For the purpose aforesaid the member under the scheme and the Plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.]

XV. *Register of member* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members :

(1) A register of members shall be maintained and there shall be entered in the register :

(a) the name and addresses of the members;

(b) the distinctive number of the Membership advice and the number of units held by every such persons; and

1. Substituted for "Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the unitholder" on 12-07-93.

2. Clause on "Manner of preparation of unit certificate" "The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every singature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate; the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid" deleted on 12-07-93.

3. Substituted for "In case any Unit certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Trust at its discretion may issue to the person entitled a new Unit certificate representing the same aggregate number units as the mutilated or worn or defaced Unit certificate. In case any Unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new certificate in lieu thereof. No such new certificate shall be issued unless the applicant shall previously have.

(i) furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit certificate.

(ii) Paid all expenses in connection with the investigation of the facts.

(iii) Is case of mutilation or wearing out or defacement produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced Unit certificate; and

(iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this Clause.

(2) Before issuing any certificate under the provisions of this Clause, the Trust may require the applicant for the Unit certificate to pay a fee of Pupee one per Unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and dispatch of such certificate' on 12-07-93.

(c) the date on which such person became the holder of the units in his name.

(2)(a) If a Membership stand registered in the name of two persons, such persons shall be deemed to hold the units jointly and a discharge by the person first named in the register of the members shall, as regards receipt of amounts due discharge the Trust in respect of such amounts.

(b) Where two individuals, none of them being a minor, apply for issue of units in their favour and request in the application that either of them should be permitted to deal with the units, the Trust shall record in its books suitable entries to take note of such requests and when units have been issued in such circumstances, then either of the holders shall be entitled to deal with the units issued, and a discharge by either of such persons shall, as regards receipt of amounts due in respect of such units, discharge the Trust in respect of such amounts.

Provided that the income distribution declared in respect of the units issued shall be paid to the person first named in the register of members.

(3) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as may require, shall alter the register accordingly.

(4) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(5) The register will be closed at such times and for period as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspaper as the Board may direct.

No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered in the register in respect of any unit.

XV.A. Application by and registration of eligible institutions

1. Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

2. Eligible institutions, body corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant document showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles, Bye-laws, certified true copy of the resolution of the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite power of attorney.

XVB. Application on behalf of Minor :-

(1) An adult individual being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may apply for the units and deal with them in accordance with and to the extent provided in sub-section (2A) of Section 21 of the Act and in this scheme.

(2) Such an adult while applying for units shall furnish to the Trust in such manner as may be specified, proof of age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

Provided that the Trust shall be entitled to act on the statement made by such adult in the application form without any further proof.

XVI. Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the advice shall be a good discharge to the Trust.

XVII. Death or bankruptcy of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of the units issue under the scheme, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest shall affect any right which any other person may have as in the units so issued. Provided that nothing herein contained against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member or joint members the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units issued under the Scheme.

(3) In the absence of a valid nomination by members, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a member may, upon producing such evidence as to his title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at par along with such dividend as is more specifically given under Clause VI or at such rate as may be determined by the Trust after the formalities in connection with the claim have been compiled with by the claimant. In the event the nominee is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership advice in his name in respect of units so desired to be held subject to the condition regarding minimum holdings.

XVIII. Transfer of Units :

1 [Units issued under the scheme are not Trasferable/Pledgeable/Assignable.]

1. Substituted for

"(1) Every member shall be entitled to transfer the units or any of the units held by him an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result is the transferor or the transferee being a holder of a number of units not being a multiple of hundred.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(3) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped and left with the Trust for registration along with the relevant Unit certificate or certificates and such other evidence as the Trust may require in support of the title of the transferor or his right to transfer of units. For purposes of calculation of the value of stamps to be affixed. The value of each unit shall be Rs. 10/- i.e. at par. If the instruments of transfer is not adequately stamped, the Trust reserves the right to reject the instrument of tranfer.

(4) Every instrument of transfer shall be lodged with the Trust for registration at least a month before the period of closure of books (twice a year) along with the relevant certificate. If the transfer is registered in the books of the Trust after the period of book closure as the case may be the dividend accruing for the relative half year will be paid to the transferor.

(5) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office. When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfers shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office under the name of the office.

(6) Also a facility of the Trust noting a lien on its register of Units certificate pledged by the applicant with the bank is available. Such a pledge will be only of the units covered by the Unit certificate and not the income therefrom.

Partial transfer of units is not allowed" on 12-07-93.

XIX. Nomination by members :

(1) Members holding units singly or two members holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations. Non-resident Indians can be nominated on the condition that the proceeds cannot be repatriated.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible institution, HUFs and Bodies Corporate shall have no right to make any nomination.

XX. Investment Limits :

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any one corporation shall not exceed15% of the securities issued and outstanding of such corporations.

Provided that the aggregate of such investment in the Capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds, deposits and debentures of a company whether secured or not.

XX. Income Distribution :-

(i) Deferred Income Option

The Trust shall not declare any dividend under the scheme for the first two years of the scheme. Thereafter dividend will be declared at the rate of 28% p.a. on quarterly basis for the third, fourth and fifth years of the scheme respectively.

The income distribution for each quarter shall be made will be declared at the rate of 28% p.a. on quarterly basis payable at the end of that quarter and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of income distribution warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify. Income Distribution warrants shall be forwarded to the member in advance for the third, fourth and fifth years.

Every warrant shall have a validity period for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of validity period or in the event of their becoming stale. In the event of death of the member if the sole nominee is eligible to hold the units and desires to continue to hold the units then sole nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future quarters for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants directly issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(ii) Cumulative Option

A member exercising his right to participate under this option will not receive any dividend. At the end of the 5 year period units standing to the credit of the member shall be repurchased at a repurchase price of not less than Rs. 20.375/- per unit. (i.e. for 200 units the repurchase value will be Rs. 4075/-).

Bonus Dividend under both the options

Under both the options, bonus dividend may be declared at the end of 3rd year and paid on maturity.

XXII. Publication of accounts :-

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide , accounts in the manner specified by the Board, showing the working of the scheme during the period ending on 30th June. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts so published.

XXIII. Additions and amendments to scheme :-

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment thereof will be notified in the Official Gazette.

XXIV. Termination of the Scheme :-

The Scheme shall stand finally terminated on 30-09-1998. The outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue and the repurchase value will be paid by the Trust as early as possible after the Membership advice with the form for repurchase duly completed has been received by it other procedural and operational formalities are complied with. The Membership advice and other forms, if any received for repurchase shall be retained by the Trust for cancellation.

XXV. Scheme to be binding on members :

The terms of this scheme, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

XXVI. Copy of Scheme to be made available :-

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all time during its business hours on payment of a sum of Rs. 5/- (Rupees five only).

XXVII. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital reserves and surpluses, if any, available at the time of the closure of the scheme shall be distributable only among the members who hold the units at its closure.

XXVIII. Power to construe provisions :-

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, Chairman or in his absence the executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final, conclusive and binding.

XXIX. Relaxation/Variation/Modification of provision :

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the scheme in case of any member, or class of members upon such conditions as may be deemed expedient'

The terms "Unitholder" and "Unit Certificate" appearing in the provisions of the Scheme deleted and substituted by the words "member" and "membership advice" respectively on 12-07-1993.

FORM—A [cancelled]

"FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS" [cancelled]

Form A giving the form of the Unit Certificate and the "Form of Application for repurchase of units" cancelled on 12-07-1993.

No. UT/DBDM/R54A/SPD 64/93-94.—The Amendments to the Provisions of the Children's College and Career Fund Unit Plan-1993 formulated under Section 19(1) (8) (C) of the Unit Trust of India Act, 1963 and the Children's College and Career Fund Unit Scheme-1993 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 13th September, 1993 are published herebelow.

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF

CHILDREN'S COLLEGE & CAREER FUND UNIT

PLAN/SCHEME-1993

(CCCF-93)

1. Clause 2 on Application for units in the provisions of the Plan is amended as follows :

"Application for units can be made by any adult individual (Resident/nos-resident in favour of a resident/*non-resident* child), a company, Body corporate, an eligible institution (except cooperative societies) or a court appointed guardian desirous of participating in the Plan for the benefit of a child not exceeding 15 years of age on the date of application."

2. Clause 4 on Application for units in the provisions of the scheme is amended as follows :

"Application for units under this scheme may be made by any adult i.e. parent, relative or friend (Resident/Non-Resident in favour of a Resident/*Non-Resident child*), a Company, Body Corporate, an eligible institution (except cooperative societies) or a court appointed guardian desirous of participating in the scheme for the benefit of a child not exceeding 15 years of age on the date of application in the form prescribed by the Unit Trust of India".

3. A new sub-clause (iii) is added to clause 5 of the provisions of the Scheme and clause 3 in the provisions of the Plan under "Mode of Payment".

"The payment for the units applied for by a non-resident Indian Adult shall be made by him alongwith the application by debit to Non-resident (ordinary)/Non-resident (external)/Foreign currency non-resident account kept in India in the name of the purchaser with an authorised dealer in foreign exchange is India or by way of remittance in foreign currency through normal banking channels. The application may also be tendered at the office of the Trust with a rupee cheque/draft. Payments in Nepalese and Bhutanese currencies are not acceptable."

4. The following is included in clause 4 on "Sale of Units" in the provisions of the Plan :

"In respect of a Non-resident Indian applicant, the membership certificate bearing the child's name may be sent to the address given in the application or to the address of the applicant's bank in India which is an authorised dealer or to the bank in the applicant's country of permanents/present residence."

5. The following is added as a new Clause 4B on "Mode of payment of Scholarship to Non-Resident Donee Child" in the provisions of the Scheme :

"In cas of non-resident child, scholarship amount shall be remitted in foreign exchange/credited to Non-Resident (External)/FCNR Account provided the original units were purchased by remittance from abroad or by debit to Non-Resident (External)/FCNR account and the child continues to be a Resident abroad".

6. The following is added to Clause 14 of the provisions of the scheme and Clause 7 of the provisions of the Plan on "Withdrawal"

"In case of a non-resident child, the withdrawal proceeds can be remitted in foreign exchange after the completion of the lock-in period, provided the original units were purchased by remittance from abroad or from a Non-resident (External)/FCNR A/c and the donee child continues to be resident abroad. If the units were purchased from a Non-resident (ordinary) account, the withdrawal proceeds will be credited to Non-resident (ordinary) account in the name of the child with bank in India being an authorised dealer in foreign exchange. In the case of a resident child, the withdrawal proceeds will be paid to him/her in Rupees."

7. As the provisions applicable to Non-resident donors/Non-Resident Donee child may vary with the change in Foreign Exchange Regulations the following is added to Clause 27 on "Benefits to the members" in the provisions of the Scheme.

The benefits available/facilities provided to Non-resident donor (applicant) and also to Non-resident/Resident Donee child in respect of applications made by a Non-Resident Adult individual shall be as per the foreign exchange Regulations as are applicable from time to time."

8. Captions of Clause 12 of the Plan and Clause 25 of the Scheme is changed as :

"Plan/Scheme to be binding on members" instead of "Plan/Scheme to be binding on applicants".

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt., the 24th August 1993

No. /AS(C)/Audit/SR/84/(Vol. II).—Whereas Maulana Saidur Rehman S/o Late Maulana Habibur Rehman who was the Mutawalli Wakfs died on 20-8-1993 and as at present no suitable person is available for being appointed as Mutawalli.

Now, therefore, I, S. Y. Quraishi, IAS Administrator, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt in exercise of powers conferred on me under sub section (1) of Section 43A of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954) hereby assume direct management of these Wakfs with all their attached properties from the date of death of Maulana Saidur Rehman viz 20-8-1993 for a period of 5 years or till the appointment of a suitable person as Mutawalli, whichever is earlier.

Details of Wakfs under Mutawallship of Maulana Saidur Rehman, deceased and now taken under the direct management of the Punjab Wakf Board.

1. Takia Shah Shodan, Chaura Bazar, Opposite Tehsil Office, and Kotwali, Ludhiana, Measuring 15 Kanals 17 Marlas with 39 shops and 19 other houses and shops. MC No. Old B-II/404, 405, 406 and MC No. new B-II/1794.

2. Jama Masjid Do Manzili, Mohalla Moch-Pura, Ludhiana 7 Marlas with 6 shops 7 rooms MC No. Old B-IX/127, MC No. B-X/266.

3. Mosque Pipalwali, Near Police Division No. 3, Chauri Sarak, Ludhiana, 4 Kanals MC No. Old B-VI/114, MC No. New B-IX/349.

4. Idgah, Opp. Police Lines, Ludhiana 5000 sq. yds. 8 Kanals 6 Marlas MC No. Old B-I-358 A & B-I/357, MC No. New B-1-983.

5. Graveyard, Near Domoria Pull, Ludhiana 6 Kanals 2 Marlas MC No. Old B-1/618 MC No. New B-II/1246.

S. Y. QURAISHI,
IAS
Administrator

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993